

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

गोपाल पिता रामेश्वर लाल ब्राह्मण नि. रामगढ वगैरा


बनाम

सवाईराम पिता उदा धाकड नि. भरणीकलां वगैरा

2021/1394

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1297/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर य तारीख अहकाम जो हुकम की मामील में जारी हुये
01.12.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1204/942 रकबा 2.16 है. आ.न. 1272/942 रकबा 1.08 है., आ.न. 1313/942 रकबा 0.6480 है. कुल किता 3 रकबा 3.8880 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की स्थाई सीमा चिन्हो की जानकारी नही होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1204/942 रकबा 2.16 है. आ.न. 1272/942 रकबा 1.08 है., आ.न. 1313/942 रकबा 0.6480 है. कुल किता 3 रकबा 3.8880 है. की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 01.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी,
 जहाजपुर(भीलवाडा)